




P-3
नोएडा प्राधिकरण का 7 हजार करोड़ का बजट



P-4
बुलंदशहर में आलू व्यापारी की गोली मारकर हत्या



P-5
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से रूस पर बड़ा एशन, यूक्रेन में नागरिकों



P-6
बांग्लादेश पर अफगानिस्तान की जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट



हैप्पी मॉर्निंग
साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो? जीजा- नो साली जी, कुछ और बताओ। मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूँ.. साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूँ जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?



शायरी
छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाये, तमना है किसान की!

अर्थसार
संसेक्स: 78,053.52
+712.45 (0.92%)
निफ्टी: 23,721.30
+183.45

मौसम
अधिकतम : 35 डिग्री से0
न्यूनतम : 28 डिग्री से
सूयोदय गुरुवार : 5 : 28
सूर्यास्त बुधवार : 7 : 30

दो रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ नंदनी दूध

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की थी।



एजेंसी

बेंगलूर। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) ने मंगलवार को दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की। केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की थी। बढ़ी हुई कीमत 26 जून से प्रभावी होगी। कर्नाटक में 26 जून से एक लीटर नंदनी दूध की कीमत बढ़कर 44 रुपये हो जाएगी। राज्य में एक साल से भी कम समय में दूसरी बार दूध के दाम में वृद्धि हुई है। गत वर्ष जुलाई में नंदनी दूध के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर

की वृद्धि हुई थी। नाइक ने दूध की कीमत में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि दूध की कीमत में वृद्धि एक लीटर के पाउच में 1,050 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराने पर आने वाली लागत को कवर करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के बावजूद कर्नाटक के दूध की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि केएमएफ द्वारा बेचे जाने वाले दही और अन्य दूध उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आर अशोक सहित विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं ने इस कदम की निंदा की है। अशोक ने राज्य सरकार

राहुल लोकसभा में नेता विपक्ष

2 दिन में 535 सांसदों ने शपथ ली, 8 बाकी; लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज

नई दिल्ली। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडिया की बैठक के बाद रात 9: 30 बजे इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। उधर, संसद सत्र के दूसरे दिन भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। अब तक कुल 535 सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता ली। 8 सांसद शपथ नहीं ले सके। इनमें टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी और शेख नुरूल इस्लाम, सपा के अफजल अंसारी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, निर्दलीय अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद शामिल हैं। सिंह और राशिद फिलहाल जेल में हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव कल होगा। वोटिंग सुबह 11 बजे से होगी।



नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैडिडेट ओम खिरला के खिलाफ के. सुरेश को उतार दिया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, इस पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया। उधर, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद पर अभी से सहमति चाह रही थी। भाजपा-कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया।

संसद में जय फिलिस्तीन, जय हिन्दू राष्ट्र का नारा लगा संसद सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ की भी खूब चर्चा हुई। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। भाजपा के बरेली से सांसद छत्रपाल गंगवार ने जय हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाया। इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राधे राधे से शपथ की शुरुआत की। टीवी के राम और मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली। उनके आते ही जय श्रीराम के नारे लगाए गए। लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी ने शपथ पत्र देखे बिना शपथ ली। सामने आने लगीं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और एनडीए कैडिडेट के लिए समर्थन मांगा। खड़गे ने कहा- डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, समर्थन दूँगे। राहुल संसद पहुंचे और मीडिया से कहा- राजनाथ जी ने खड़गे जी को फोन किया था। हमने अपनी मांग रखी है।

नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां

8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार

नीट पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना एडीजे-5 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ है। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। अगली सुनवाई 2

जुलाई को होगी। पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपी बिहार से और 6 झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। इस पर कोर्ट ने 15 जुलाई की



तारीख तय की थी। अगर मामला सीबीआई के पास जाता है तो अग्रिम जमानत की अर्जी सीबीआई की अदालत में ही लगानी होगी।

कल्लाकुरिची शराब त्रासदी : मृतकों की संख्या 59 हुई

यहां प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 59 में से 32 लोगों की मौत सरकारी कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, सलेम सरकारी अस्पताल में 20, मुंडियाम्बक्कम के सरकारी विष्णुपुरम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चार और पुडुचेरी के जेआईपीएमआईआर में तीन लोगों की मौत हुई है। मेथनॉल के साथ मिली नकली शराब पीने वाली पांच महिलाओं सहित कुल 155 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

जमानत पर रोक ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, कहा- बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया

केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर, आम आदमी पार्टी का कहना है, हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट



जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोकें जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन श्रद्ध की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब कल (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा।

हाईकोर्ट की 4 बड़ी टिप्पणियां 1. ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। 2. इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर विचार-विमर्श नहीं किया। 3. ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो। 4. ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया है।

सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की नई दिल्ली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने मंगलवार (25 जून) को तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से दिल्ली शराब नीति से जुड़े कर्षण केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। मंगलवार (25 जून) की देर रात मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बाद में पता चला कि जांच एजेंसी ने उनसे सिरफ पूछताछ की और तिहाड़ से वापस लौट गई। सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अप्रैल 2022 में केस दर्ज किए थे। ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था।

पोर्श एक्सिडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिली

पुणे। पुणे पोर्श एक्सिडेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। साथ ही उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। नाबालिग आरोपी ने 18-19 मई को रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। उसे 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश आरोपी लड़के की आंटी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। पिछले हफ्ते दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि लोगों के गुस्से और राजनीतिक एजेंडे के चलते पुलिस जांच के सही रास्ते से भटक गई। इस वजह से जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में लंबित मामलों पर जताई चिंता

लोगों से की लोक अदालत का लाभ लेने की अपील

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से छह दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि बेहिसाब लंबित मामलों को लेकर वह बहुत चिंतित हैं। सीजेआई ने नागरिकों और वकीलों से की ये अपील



चलेगी। सर्वोच्च अदालत पिछले 75 सालों से समय-समय पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसी गतिविधियां चलाती रही है। लंबित मामलों के ढेर देखते हुए इस न्यायिक संस्था के सभी जज इस लोक अदालत के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। नागरिकों को मिलता है संतोषजनक न्याय

का समाधान करती है। इससे जुड़े हमारे नागरिकों को इस न्यायिक प्रणाली से ऐच्छिक रूप से संतोषजनक न्याय मिलता है। उन्होंने सभी नागरिकों और वकीलों से अपील की है कि वह मामलों के जल्द निपटारे के लिए उस सुविधा का अधिकाधिक लाभ लें। विशेष लोक अदालत के जरिये मिलता है इन लोगों को तुरंत मौका मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अपने सहयोगियों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की ओर से वह सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि जिन लोगों के भी मामले अदालतों में लंबित हैं, वह इस अवसर का लाभ लेते हुए अपने उन विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालत में अपना मामला रखें। विशेष लोक अदालत के जरिये लंबित मामलों से परेशान लोगों को त्वरित गति से सुनवाई का अवसर मिलता है।

propre
Luxury Real Estate

PERFECT HOME FOR BUYING & SELLING

Properties | Residential & Commercial Sites | Villas | Apartments & Plots | Farmhouse | Agriculture Land

+91 98715 77057 | 99995 11233
www.propre.in
info@propre.in
Jewer Airport & Greater Noida

BOOK NOW



FOR SALE REAL ESTATE

We provide several modern-style houses that are very suitable for your family, with several types of interesting facilities in them. Get it soon, limited units.



Our housing is close to public roads and it's very easy to access by public transportation.



Our housing also has a public garden, where all residents can enjoy it.



Our housing has a playground for children that the children will definitely like.

For More Information you can contact us

Noida || Greater Noida || Yamuna Expressway || Jewar Airport

or visit us at

+91 9871577057 www.propreluxuryrealestate.com